

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 2021 (माघ 23, 1942)

माननीय श्री देवेन्द्र यादव सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के अधीन कानून व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य को दिनांक 09.02.2021 को अपराहन 3:00 बजे रायसेना रोड, संसद भवन मार्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र नई दिल्ली से गिरफ्तार कर दिनांक 09.02.2021 को ही अपराहन 5:00 बजे मंदिर मार्ग, पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली से रिहा किया गया।

**चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.**